

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.3(176)नवि/3/84

जयपुर, दिनांक:

12 DEC 2012

परिपत्रादेश

**विषय:-** राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु भूखण्ड निःशुल्क आवंटन किये जाने हेतु।

राज्य सरकार द्वारा गाडिया लुहारों को 50 वर्गगज निःशुल्क भूमि निर्धारित शर्तों पर आवंटन करने हेतु आदेश जारी किये गये थे। विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15.06.2012 द्वारा 50 वर्गगज तक भूमि निःशुल्क आवंटन करने हेतु दिनांक 31.03.2013 तक अवधि बढ़ायी गयी है।

अब राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए गाडिया लुहारों की तर्ज पर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों (सूची संलग्न) को भी 50 वर्गगज का भूखण्ड निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/समस्त नगर सुधार न्यास एवं सभी स्थानीय निकाय "प्रशासन शहरों के शंग अभियान-2012" में आयोजित शिविरों में उक्त जातियों के परिवारों (शिवाए ऐसे परिवार जिनके पास पूर्व से ही आवासीय मकान अथवा आवासीय भूमि उपलब्ध है) को 50 वर्गगज तक निःशुल्क भूखण्ड आवंटन करना सुनिश्चित करें। ऐसे परिवारों के निःशुल्क भूखण्ड आवंटन हेतु शिविरों में आवेदन प्राप्त किये जावे। यदि अभियान अवधि में कोई आवेदन निस्तारण से शेष रह जाता है तो उसका निर्णय दिनांक 31.03.2013 तक follow-up शिविरों में करना सुनिश्चित करें।


उक्त आवंटन हेतु निम्न शर्तों की पालना आवश्यक रूप से की जावे :-

- (i) इन जातियों के आवास हेतु आवंटित भूमि का उपयोग राज्य में किसी भी अन्य जाति अथवा अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा।
- (ii) भूमि चिन्हित होने के तुरन्त बाद पट्टे आवंटित किया जावे ताकि भूमि पर अतिक्रमण की सम्भावना न रहे।
- (iii) भूमि आवंटन की पारंगता में उक्त जातियों का होना एवं उसका प्रमाण पत्र जारी होना ही पर्याप्त आधार होगा। इनके जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी ही अधिकृत होंगे।
- (iv) भूमि आवंटन के पश्चात् पट्टाधारी व्यक्ति 20 वर्ष तक किसी अन्य को बेचान नहीं कर सकेगा।

संलग्न- उपरोक्तानुसार (Social Welfare Department Order No.

F.1(F)(2)SW/63 dated 24-2-1964)

राज्यपाल की आज्ञा से,




(गुरदयाल सिंह संधु)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, मा10 मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पत्र क्रमांक एफ11(55)(1)आरण्डपी/सान्याअवि/12/81046 दिनांक 19.11.2012 के संदर्भ में।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
9. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, ..... राजस्थान
11. समस्त जिला कलक्टर, ..... राजस्थान।
12. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उक्त आदेश समस्त संबंधित को प्रसारित किये जाने हेतु।
14. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित कर समस्त संबंधित को उक्त आदेश प्रसारित किये जाने हेतु।
15. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास .....
16. रक्षित पत्रावली।



(एन0एल0मीना)

उप शासन सचिव-तृतीय

**DIRECTORATE OF SOCIAL WELFARE, RAJASTHAN,  
JAIPUR.**

---

List of Denotified Tribes, Nomadic Tribes and Semi Nomadic Tribes as approved vide Government in Social Welfare Department Order No. F. 1(F)(2) SW/63 dated 24-2-1964.

---

**DENOTIFIED TRIBES**

1. Baori.      2. Kanjar.      3. Sansi.      4. Bagri (Bawaria)  
5. Mogia.      6. Nut.      7. Naik.      8. Multanis.      9. Bhat.

**NOMADIC AND SEMI NOMADIC TRIBES**

**A. NOMADIC TRIBES**

1. Baldias (Banjaras).      2. Pardhis.      3. Domabaris.      4. Gadia,  
Lohars.      5. Iranis.      6. Jogi Kalbelia.      7. Jogi Kanphata.  
8. Khurpals.      9. Shikkaligar.      10. Ghisadis.  
(Kulphalts)

**B. SEMI NOMADIC TRIBES**

1. Sarangiwal-Bhoras.      2. Rebaris.      3. Raths.      4. Mangalias.  
5. Bhayas.      6. Kannis.      7. Janglus.      8. Jalukus.      9. Jhangs.  
10. Sindlus.      11. Jogis—(Other than those included in Nomadic  
Tribes).  
(i) Girinaths. (ii) Ajaipals. (iii) Agamnaths.  
(iv) Namanths. (v) Jalandhars. (vi) Masanis.  
12. Ramaswamies.      13. Bharaddi—Jadhavs.
-